


AMENDED ON 5-8-93

राजस्थान सरकार

B-2



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र

क्रमांक 65 तन् 1972-73

यह प्रमाणित किया जाता है कि सीरी बाल मन्दिर सोसायटी पिलानी जिला बुन्देलखण्ड का पंजियम संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 राजस्थान अधिनियम नं. 28, 1958 के अंतर्गत दिनांक बीस माह चून तन् एक हजार नौ सौ बड़लख को रजिस्ट्रार संस्था में राजस्थान जयपुर द्वारा हुआ है ।

अब इस संस्था के नाम सीरी बाल मन्दिर सोसायटी पिलानी में संशोधन कर संस्था का नाम " सीरी शिक्षण संस्थान " (SERIES EDUCATIONAL SOCIETY) पिलानी जिला बुन्देलखण्ड दिया गया है । यह संशोधन राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 राजस्थान अधिनियम नं. 28, 1958 के अन्तर्गत किया गया है ।

यह प्रमाण पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से दिनांक पाँच अगस्त तन् एक हजार नौ सौ तीरानवे को बुन्देलखण्ड में दिया गया ।

(दिनांक) 5/8/93

रजिस्ट्रार संस्था
बुन्देलखण्ड राजस्थान

Secretary/सचिव
SERIES Educational Society
सीरी शिक्षण संस्थान
Pilani-333031 (Rajasthan)
पिलानी-333031 (राजस्थान)

ATTESTED
RANVEER SINGH
NOTARY PUBLIC
(PILANI RAJ)